# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए ई.सी.एक्ट / 13 / 25

राज्य सरकार जरिये महेश कुमार उर्वरक निरीक्षक, एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बयाना जिला भरतपुर। ......प्रार्थी

**बनाम**

मै0 पाराशर खाद बीज भण्डार रूदावल रोड सेवल–विरहठा बयाना जरिये रोहित कुमार शर्मा पुत्र श्री टीकेन्द्र शर्मा निवासी सेवला तहसील व जिला भरतपुर ........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

दिनांक 10.04.2026

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी. इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16.04.2024 को अप्रार्थी मै0 पाराशर खाद बीज भण्डार रूदावल रोड सेवल–विरहठा बयाना के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण हेतु पहुँचा। फर्म पर प्रतिष्ठान प्रतिनिधि श्री टीकेन्द्र कुमार शर्मा विक्रय करते पाये गये। प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 उपलब्ध था, की गुणवत्ता जॉच हेतु नमूना लिया गया। उर्वरक नमूना सील्ड कर, सील्ड नमूना कोड संख्या MKG/F/2025-26/003 की एक प्रति प्रपत्र ''के'' साथ राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर को कार्यालय के पत्रांक 56 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा विश्लेषण हेतु भिजवाई गयी। राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर द्वारा उक्तानुसार उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 में सक्रिय तत्व निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं पाये जाने पर अमानक घोषित किया गया। उर्वरक अमानक घोषित होने के उपरान्त दिनांक 02.06.2025 को मै0 पाराशर खाद बीज भण्डार रूदावल रोड सेवल–विरहठा बयाना के प्रतिष्ठान पर पहुँच कर उक्त उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 के स्टॉक रजिस्टर में 134 बैग पाये गये। उक्त उर्वरक की जप्ती की कार्यवाही कर 134 बैग एसएसपी को फर्म प्रतिनिधि श्री टीकेन्द्र कुमार शर्मा को सुपुद कर सुरक्षित स्थान पर रखने एवं विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। उर्वरक नमूना कोड संख्या MKG/F/2025-26/003 के विश्लेषण की रिर्पोट अमानक पाये जाने पर जप्त उर्वरक 134 बैग एसएसपी ब्राण्ड सूर्यकिरण को राजसात करने एवं नष्ट कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए ई.सी.एक्ट / 13 / 25
उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी कार्या. सहायक निदेशक बयाना बनाम
मै. पाराशर खाद बीज भंडार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्रीरमनलाल मित्तल का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक का कहना है कि दिनांक 16.04.2024 को अप्रार्थी मै0 पाराशर खाद बीज भण्डार रूदावल रोड सेवल–विरहठा बयाना के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण हेतु पहॅुचा। फर्म पर प्रतिष्ठाान प्रतिनिधि श्री टीकेन्द्र कुमार शर्मा विक्रय करते पाये गये। प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 उपलब्ध था, की गुणवत्ता जॉच हेतु नमूना लिया गया। उर्वरक नमूना सील्ड कर, सील्ड नमूना कोड संख्या MKG/F/2025-26/003 की एक प्रति प्रपत्र ''के'' साथ राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर को कार्यालय के पत्रांक 56 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा विश्लेषण हेतु भिजवाई गयी। राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर द्वारा उक्तानुसार उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 में सक्रिय तत्व निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं पाये जाने पर अमानक घोषित किया गया। अमानक जप्त उर्वरक 134 बैग एसएसपी ब्राण्ड सूर्यकिरण को राजसात करने एवं नष्ट कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 में सक्रिय तत्व निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं पाये जाने पर जप्त उर्वरक 134 बैग एसएसपी ब्राण्ड सूर्यकिरण को राजसात करने एवं नष्ट किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। उक्त उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 खाद के 134 बैग (प्रत्येक में 50 किग्रा.) में राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर द्वारा उक्त उर्वरक में सक्रिय तत्व निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं पाये जाने पर अमानक घोषित किया गया। उक्त उर्वरक अमानक घोषित होने के कारण उर्वरक को किसानों को वितरण योग्य नही पाते हैं। अस्तु उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 23 के प्रावधानों अनुसार उक्तानुसार जप्त उर्वरक को डिस्पोजल कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराया जाना उचित पाते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर

......3

प्रा0पत्र / 6ए ई.सी.एक्ट / 13 / 25

उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी कार्या. सहायक निदेशक बयाना बनाम
मै. पाराशर खाद बीज भंडार

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए)ई सी एक्ट स्वीकार किया जाता है। जप्त उर्वरक Zincated SSP (Granular) बैच नं- SK/ZN/G/76 के 134 बैग खाद (प्रत्येक में 50 किग्रा.) को (Confiscate) किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे जप्त उर्वरक खाद को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करायें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक, एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बयाना जिला भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर